



**राजस्व मण्डल, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त प्रमुख राजस्व आयुक्त, संभागायुक्त तथा कलेक्टर
स्थापनाओ की लिपिकवर्गीय सेवाओ तथा पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग से नायब तहसीलदार पद पर
विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती 2018**

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र	
आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि : 04/06/2018	आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 18/06/2018
आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 04/06/2018	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 20/06/2018
परीक्षा दिनांक व दिन	30/06/2018 शनिवार
परीक्षा शुल्क	
विभागीय सीमित सीधी भर्ती पद हेतु (सभी संवर्गों के लिए)	रु. 900/-
ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रुपये 70/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रस्टिड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 40/- रु. देय होगा ।	

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	प्रश्न पत्र	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
30/06/2018 शनिवार	प्रथम	प्रथम	प्रातः 07:00 से 08: 00 बजे तक	प्रातः 8:50 बजे	प्रातः 09:00 से 11:30 तक
	द्वितीय	द्वितीय	अपरान्ह 01:00से 02:00 बजे तक	अपरान्ह 2:50 बजे	अपरान्ह 03:00 से 05:30 बजे तक

टिप्पणी :-

1. मध्यप्रदेश राजस्व विभाग के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों के लिये विभागीय सीमित चयन परीक्षा होने के कारण मूल निवासी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
2. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है । यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।
3. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है।
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान आधार इनेबलड बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। किसी भी स्तर पर बायोमेट्रिक सत्यापन न होने की स्थिति में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी ।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
6. उम्मीदवारों द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में किया जावेगा । उम्मीदवारों को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानों अनुसार सभी में पूर्णतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी ।
7. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
8. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
9. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है
10. मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
11. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी ।
12. परीक्षा हेतु आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को अपना एम्प्लोयी कोड दर्ज करना आवश्यक है ।

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, म0प्र0

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.peb.mp.gov.in

राजस्व मण्डल, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त प्रमुख राजस्व आयुक्त, संभागायुक्त तथा कलेक्टर स्थापनाओ की लिपिकवर्गीय सेवाओ तथा पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग से नायब तहसीलदार पद पर विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती 2018

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	राजस्व मण्डल, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त प्रमुख राजस्व आयुक्त, संभागायुक्त तथा कलेक्टर स्थापनाओ की लिपिकवर्गीय सेवाओ तथा पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग से नायब तहसीलदार पद पर विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती 2018 आयोजन के नियम एवं निर्देश तथा विभागवार रिक्त पदों का विवरण तथा आरक्षण तालिका	03 - 07
2.	2	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	08 - 23
3.	3	परीक्षा का पाठ्यक्रम	24
4	प्रारूप-1	प्रश्नों/आदर्श उत्तरो पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन	25
5.	प्रारूप-2	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि पत्रक	26

v/; k; &1

राजस्व मण्डल, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त प्रमुख राजस्व आयुक्त, संभागायुक्त तथा कलेक्टर स्थापनाओं की लिपिकवर्गीय सेवाओं तथा पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग से नायब तहसीलदार पद पर विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती 2018 हेतु चयन संबंधी नियम/निर्देश

1. राजस्व मण्डल, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त, संभागायुक्त तथा कलेक्टर स्थापनाओं की लिपिकवर्गीय सेवाओं तथा पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग से नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा के लिए निम्न निर्देश लागू होंगे-

2. I keW; %&

यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो राजस्व मण्डल, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त, संभागायुक्त तथा कलेक्टर स्थापनाओं की लिपिकवर्गीय सेवाओं तथा पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग से नायब तहसीलदार के पद हेतु चयन परीक्षा 2018 में आवेदन कर रहे हैं।

3. i fjHk"kk, a %&

3.1 "आरक्षण" से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

3.2 "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

3.3 "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

3.4 "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5 पच्चीस 4-84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग।

3.5 "भर्ती का वर्ष" से अभिप्रेत है किसी वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली 12 मास की कालावधि, जिसके भीतर ऐसे रिक्त पद के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है।

3.6 "योजना" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश जूनियर प्रशासकीय सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तों नियम 2011 की अनुसूची पाँच अनुसार सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा नायब तहसीलदारों के पदों को भरने की योजना।

नोट:- कलेक्टर स्थापनाओं में अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा तहसील कार्यालय सम्मिलित हैं।

4. orueku%&

नायब तहसीलदार पद हेतु वेतनमान मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के वेतन मेट्रिक्स के लेवल 9 के प्रारंभिक वेतन रूपये 36200+ महंगाई भत्ता छठवां वेतनमान वेतन बैंड रु. 9300-34800 + 3600 ग्रेड पे० अनुसार है।

5. vgrk, j %&

मध्यप्रदेश जूनियर प्रशासनिक सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तों नियम 2011, की अनुसूची - 5 के मद क्रमांक 2 "पात्रता" के अनुसार राजस्व मण्डल, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त, संभागायुक्त तथा कलेक्टर स्थापनाओं की लिपिकवर्गीय सेवाओं तथा पटवारी/राजस्व

निरीक्षक संवर्ग के केवल ऐसे सदस्य इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएँ हों –

- 5.1 जो राजस्व विभाग में किसी लिपिक वर्गीय पद पर या पटवारी/राजस्व निरीक्षक के रूप में कम से कम 5 वर्ष से स्थायी या स्थानापन्न हैसियत से कार्य कर रहे हों;
- 5.2 जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान तकनीकी तथा इंजीनियरिंग को सम्मिलित करते हुए वाणिज्य या कृषि में स्नातक उपाधि धारण करते हों;
- 5.3 मध्यप्रदेश जूनियर प्रशासनिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्त) नियम 2011 की अनुसूची 5 के अनुसार सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष में राजस्व विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 1-3/2010/सात/4ए, दिनांक 02/05/2018 से एक बार के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। अर्थात् वर्ष 2018 में मध्यप्रदेश जूनियर प्रशासनिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्त) नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में पात्रता के लिए 01 जनवरी 2018 की स्थिति में अभ्यर्थी की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ;

5.4 किसी भी व्यक्ति को **bl ;kstuk ds v/khu ijh{k k ea rhu l s vf/kd ckj l fefyr gkus grq vu{kkr ughafd; k tk, xkA**

uk/ % आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने की तिथि को पूर्ण होना चाहिए। इसके बाद की दिनांक को अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक को विज्ञापित पदों पर चयन के लिये विचारण की पात्रता नहीं होगी।

6. **fu; Dr dsfy, p; u –**

मध्यप्रदेश जूनियर प्रशासनिक सेवा भर्ती तथा सेवा शर्त नियम 2011 की अनुसूची – 5 के मद क्रमांक 3 “चयन” अनुसार योजना के अधीन चयन के लिए अभ्यर्थी को परीक्षा में न्यूनतम पैसठ 65 प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करना होंगे।

i. परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी को इस योजना के अधीन चयन के लिए परीक्षा में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करना होंगे।

ii. परन्तु यह और भी कि इस परीक्षा के अधीन चयनित अभ्यर्थी नायब तहसीलदार के रूप में –

- क. विभागीय जांच के लंबित रहने के दौरान जिसमें आरोप-पत्र जारी किया गया है; या
- ख. पूर्व के पांच वर्षों के दौरान वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल टीका की गई ; अथवा
- ग. यदि न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित है; या
- घ. यदि पूर्ववर्ती पांच वर्षों के भीतर उस पर कोई शास्ति अधिरोपित की गई है नियुक्त नहीं किया जाएगा.

7. **LFkkuh; fuokl h iek.k&i = &** वर्तमान में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों के लिये विभागीय सीमित चयन परीक्षा होने के कारण मूल निवासी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. **vkj {k.k %**

8.1 मध्यप्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 क्रमांक 21 सन् 1994 तथा समय-समय पर, जारी आदेशों के उपबंधों के अनुसार, सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्त पदों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे।

8.2 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची तैयार करेगा और प्रमुख राजस्व आयुक्त को अग्रेषित करेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जाएगी।

8.3 इस प्रकार आरक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम बिन्दु क्रमांक 8.2 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य उम्मीदवारों के तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो।

8.4 सूची में किसी उम्मीदवार का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

8.5 मध्यप्रदेश सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंधनियम 1997 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये 33 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। आरक्षण समस्तर और प्रभागवार हारिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाईज रिजर्वेशन होगा। यदि किसी भी अनारक्षित/आरक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में चयन होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे पद आगामी वर्ष के लिये अग्रणीत (carry forward) नहीं किये जायेंगे। ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार से भरे जायेंगे।

8.6 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जायेंगे। निःशक्तजनों के लिये दृष्टिबाधित/श्रवण बाधित/अस्थि बाधित श्रेणी में कुल 6 प्रतिशत आरक्षण हारिजेन्टल होगा, जो तीनों श्रेणी के लिए 2-2 प्रतिशत होगा।

Vhi % आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राप्त होगा।

9- ijh{k dsfy, fujgrk, j %

9.1 किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

9.2 परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार एवं शांति भंग करने का प्रयास करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जा सकेंगे।

9.3 फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छिपायी हो/सारभूत जानकारी छिपायी हो।

9.4 परीक्षा में पररूपधारण इम्परसोनेशन किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपधारण कराया हो, उक्त कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जा सकेंगे।

10- fyfi doxh; l ok l oxl l s l ffer foHkxh; i fr; kfxrk ijh{k l s i frz grq uk; c rgl hynkj ds dgy 57 inkadh vkj{k.k rkfydk

I - dz	Jskh	vkj u	efgyk	dy fjDr in	fu%kDr tu
1.	अनारक्षित UR	20	10	30	निःशक्त जनो के लिये कुल 03 पद आरक्षित हैं जिसमें 01 पद अस्थिबाधित, 01 पद श्रवणबाधित एवं 01 पद दृष्टिबाधित के लिये आरक्षित रहेगा। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा।
2.	अनुसूचित जाति SC	07	03	10	
3.	अनुसूचित जनजाति ST	06	03	09	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग OBC	05	03	08	

योग	38	19	57	यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग ओपन रिक्तियों में समाहित है। विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ-1/स्था./प्रराआ/2018/2971 भोपाल,दिनांक 25.05.2018
-----	----	----	----	---

11- iVokjh@jktLo fujh{k d l oxZ l s l hfer foHkxh; i fr; kfxrk ijh{k l s i frZ grq uk; c rgl hynkj ds dgy 112 inka dh vkj{k.k rkfydk

I-dz	Jskh	dgy fjDr in	vki u	efgyk	fu%kDr tu
1.	अनारक्षित UR	57	38	19	निःशक्त जनो के लिये कुल 07 पद आरक्षित हैं जिसमें 03 पद अस्थिबाधित, 02 पद श्रवणबाधित एवं 02 पद दृष्टिबाधित के लिये आरक्षित रहेगा। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग ओपन रिक्तियों में समाहित है। विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ-1/स्था./प्रराआ/2018/2972 भोपाल, दिनांक 25.05.2018
2.	अनुसूचित जाति SC	18	12	06	
3.	अनुसूचित जनजाति ST	23	16	07	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग OBC	14	09	05	
	योग	112	75	37	

12. ijh{k :-

- 10 लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे जो प्रत्येक 100 अंक का तथा 2.30 घण्टे की कालावधि का होगा।
- 20 प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा।
- 30 म0प्र0 जूनियर प्रशासकीय सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तों नियम, 2011 की अनुसूची-पांच में मद क्रमांक 3 में दिनांक 30 जुलाई 2016 के संशोधन अनुसार उक्त परीक्षा के अधीन अभ्यर्थियों को परीक्षा में न्यूनतम पैसठ प्रतिशत अंक एवं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी को परीक्षा में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करना होंगे। विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ-1/स्था./प्रराआ/2018/2971 भोपाल,दिनांक 25.05.2018

13. fu; qDr %

- 13.1 परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश जूनियर प्रशासनिक सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तों नियम 2011 के नियम - 9 अनुसार घोषणा पत्र देना होगा। उक्त नियम 9 निम्नानुसार है :-

9. fujgrk %

- 10 किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।
- 20 मध्यप्रदेश सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तों नियम, 1961 के नियम 5 के उपबंधों के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
- 30 कोई अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी पद या सेवा के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतानों का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

40 कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिये दोषसिद्ध किया गया है, परंतु यह और कि जहां ऐसा मामला अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में लंबित है, उसकी नियुक्ति का मामला न्यायालय के अंतिम विनिश्चय तक लंबित रखा जाएगा।

50 कोई अभ्यर्थी किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसकी दो जीवित पत्नियां हों तथा कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी यदि वह ऐसे व्यक्ति से विवाह करती है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो।

60 कोई शासकीय सेवक जिसकी एक पत्नी जीवित हो, शासन की पूर्व मंजूरी के बिना विवाह करता है, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

70 कोई महिला शासकीय सेवक, ऐसे व्यक्ति से जिसकी पत्नी जीवित हो शासन की पूर्व मंजूरी के बिना विवाह नहीं करेगी अन्यथा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगी।

13.2 उम्मीदवारों द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में किया जावेगा। उम्मीदवारों को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानों अनुसार सभी में पूर्णतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी।

13.3 नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जायेगा। इस कालावधि के दौरान उसे पद के लिए विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी। यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान कोई कर्मचारी नायब तहसीलदार के पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसे उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा। प्रत्यावर्तित होने पर ऐसे प्रत्यावर्तित कर्मचारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि के दौरान की गई सेवा की कालावधि को उसके मूल पद पर व्यतीत की गई सेवा की कालावधि के रूप में माना जाएगा।

13.4 अभ्यर्थी का जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जायेगा।

13.5 इस चयन परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये अधिकारियों की आपसी सह वरिष्ठता चयन परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर अवधारित की जावेगी, परन्तु 02 व्यक्तियों के प्राप्तांक समान होने पर आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।

13.6 इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये अधिकारियों की नियुक्ति के उपरान्त उनकी सेवा से सम्बन्धित प्रकरण जैसे पारस्परिक वरीयता, स्थायीकरण, वेतन वृद्धियां आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तों नियम 1961 के प्रावधानों, मध्यप्रदेश जूनियर प्रशासनिक सेवा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2011 तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय समय पर बनाये गये विभिन्न नियमों के अनुसार निर्धारित की जावेगी।

13.7 चयन सूची, विभाग द्वारा उसे जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक मान्य रहेगी।

14. ; k=k HkRrs dk Hkqrku &

परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को विभागीय नियमानुसार परीक्षा हेतु यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

15. U; k; {ks=@vf/kdkj %&

भर्ती प्रक्रिया के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित विभाग जवाबदेह होगा तथा इसका न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर तक सीमित होगा।

अध्याय-2

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

- 2.1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। **अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।**
- 2.2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये ।
- (ii) आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।
- (iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
- (v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।
- (vi) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर **अभ्यर्थी** की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।
- 2.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-
- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) काला बॉलपवाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु ।)

- (iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ, तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य।

2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

2.5 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :-

मध्यप्रदेश राजस्व विभाग के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों के लिये विभागीय सीमित चयन परीक्षा होने के कारण मूल निवासी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

2.6 आवेदकों के लिए आयु सीमा :-

मध्यप्रदेश जूनियर प्रशासनिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्त) नियम 2011 की अनुसूची 5 के अनुसार सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष में राजस्व विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 1-3/2010/सात/4ए, दिनांक 02/05/2018 से एक बार के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। अर्थात् वर्ष 2018 में मध्यप्रदेश जूनियर प्रशासनिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्त) नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में पात्रता के लिए 01 जनवरी 2018 की स्थिति में अभ्यर्थी की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2.7 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(i) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।

4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. लेखन लिपिक (सहायक) या अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान की जावेगी।

(ii) **लेखन लिपिक की सुविधा :-**

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा या अतिरिक्त समय प्रदान किया जावेगा। यदि परीक्षार्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) **लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-**

1. परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा दिनांक से 10 दिन पूर्व प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर लिखित अनुमति प्राप्तिकिया जाना अनिवार्य होगा।
2. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता/प्रश्न-पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए।
3. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

2.8 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.9 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

- (ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- (iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि (काले बाल पाईट पेन से) अंकित करना होगी।
- (iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.10 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.11 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती हैं तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- (i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- (ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।
- (iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- (iv) कोई भी विकल्प सही न हो।
- (v) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- (viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

2.12 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति :-

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा । जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session \widehat{M}_{ij} is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_i^g - M_q^g}{\bar{M}_N - M_{iq}^g} (M_{ij} - M_{iq}^g) + M_q^g$$

where,

M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

\bar{M}_i^g is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

\bar{M}_N is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq}^g is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

(नार्मोलाईजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए पी.ई.बी. की वेबसाईट देखें)

2.13 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन:-

- (i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा

समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर पी.ई.बी. कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

- (ii) बिन्दु क्रमांक 3.13 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम “की” (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।
- (iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.14 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) अनुचित साधन (Unfair means)/ यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, कैल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा/Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रॉनिक घड़ी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, इशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना ।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उस स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यू.एफ.एम प्रकरण दर्ज होगा ।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना ।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना ।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना ।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना ।
9. ऐसे यू.एफ.एम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

यू.एफ.एम प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया

जावे । उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी ।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधिके अनुसार अपराध है । ऐसे में अभ्यर्थी में विरुद्ध यूएफएमप प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी । ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

2. विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा, दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते है, तो विभाग उक्त अभ्यर्थीकी नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर पी.ई.बी. को अवगत कराया जायेगा ।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है ।

2.15 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।
- (iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाएंगी ।
- (v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएँ भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाएंगी ।

2.16 परीक्षा परिणाम :-

- (i) परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.17 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।
- (ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में पी.ई.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा ।
- (iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.18 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

खण्ड-ब

2.19 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा:-

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र प्रारूप-02 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा ।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

2.20 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र प्रारूप-02 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा ।
- (ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।
- (iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (v) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (vi) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।
- (vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

2.21 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

- (i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।
- (ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (iv) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.22 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य

में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

- (ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) **आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है । इसके उपयोग से**
 1. आवेदन पत्र में आधार नम्बर की प्रविष्टि करना ।
 2. उपरोक्त आधार नम्बर द्वारा M.P.S.R.D.H (मध्यप्रदेश स्टेट रेजिडेंट डेटा हब) की e-KYC सुविधा का लाभ लेते हुए आवेदन पत्र में उचित प्रविष्टि करना इस हेतु एम.पी.ऑनलाईन अथवा एप्लीकेशन फार्म फेस्टीलेशन एजेंसी द्वारा M.P.S.R.D.H. तथा स्वयं के मध्य एक वेब सर्विस एप्लीकेशन तैयार की जाकर एप्लीकेशन पोर्टल में अनुप्रयुक्त किया जाना है। इस हेतु आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. भेजा जायेगा जिससे e-KYC सत्यापन हो सके ।
 3. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का आधार इनेबिल्ड बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा । इस हेतु पी.ई.बी. तथा M.P.S.R.D.H. के मध्यक एक एम ओ.यू. संपादित किया गया है जिसके द्वारा अभ्यर्थी का आधार इनेबिल्ड सत्यापन रजिस्ट्रेशन डेस्क पर स्वतः हो सकेगा ।
 4. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा । विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।
- (vi) पहचान पत्र के मीनू मे पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया ।

2.23 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की **वेबसाईट** www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।

(iii) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.24 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

- (i) आवेदक वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **Vyapam** लिंक में परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **निर्देश/Instructions** तथा परीक्षा **नियम/Examination Rules** उपलब्ध होंगे।
- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

2.25 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारीयों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2.26 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारीयों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2.27 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2.28 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

- (iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (v) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- (vi) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (viii) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

2.29 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा आधार नम्बर नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा "हाँ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प "हाँ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।
- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की

अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.30 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा ।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2.31 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.32 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2.33 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे ।

2.34 पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.35 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत पी.ई.बी. की E-mail ID "Complaint.peb@mp.gov.in" पर भेज सकते है ।

खण्ड-स

2.36 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
04/06/2018	18/06/2018	15	04/06/2018	20/06/2018	17

2.37 ऑनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्र.	प्रश्नपत्र	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रथम	30/06/2018	2 घंटे 30 मिनट	प्रातः 9:00 से 11:30 तक	100
2	द्वितीय		2 घंटे 30 मिनट	अपरान्ह 3:00 से 5:30 तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा।

2.38 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	परीक्षा शुल्क (सभी संवर्गों के लिए)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01.	दो	900/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 70/- कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 40/-	निरंक

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	50/-

2.39 परीक्षा शहर :-

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र
1. भोपाल

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

2.40

- (i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2:00 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी आधार इनेबलड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) पी.ई.बी की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।
- (v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- (vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।
- (vii) पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।
- (viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

- (ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखे जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- (x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान पी.ई.बी. के पास सुरक्षित रहेगा।
- (xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है।
- (xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा।
- (xiii) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा।
- (xii) परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

अध्याय - 04

पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्र का विवरण :

स.क्र.	प्रश्न पत्र	प्रश्न पत्र का विवरण	कुल अंक
(1)	(2)	(3)	(6)
1.	प्रथम	सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान एवं सामान्य कंप्यूटर ज्ञान	100
2.	द्वितीय	(1) शासकीय सेवा से संबंधित नियमों का ज्ञान (30अंक)- वेतन, भत्ते, अवकाश, सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि से संबंधित नियमों का प्रारंभिक ज्ञान, सेवा भर्ती नियमों का सामान्य ज्ञान, शासकीय सेवा आचरण से संबंधित नियमों का प्रारंभिक ज्ञान। (2) राजस्व शब्दावली का ज्ञान (20अंक)- विभाग	100

	<p>में तथा अधिकारिता में विभिन्न पद नामों का सामान्य ज्ञान, राजस्व विभाग के विभिन्न अंगों का प्रारंभिक ज्ञान ।</p> <p>(3) निम्नलिखित अधिनियमों नियमों का ज्ञान (50अंक) -</p> <p>(क) भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) (25 अंक)</p> <p>(ख) राजस्व पुस्तक परिपत्र (15 अंक)</p> <p>(ग) भू-अभिलेख नियमावली (भाग एक तथा दो) (10 अंक)</p>	
--	---	--

ukv/ & m0pr0 जूनियर प्रशासकीय सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तों नियम, 2011 की अनुसूची-पांच में मद क्रमांक 3 में दिनांक 30 जूलाई 2016 के संशोधन अनुसार उक्त परीक्षा के अधीन अभ्यर्थियों को परीक्षा में न्यूनतम पैंसठ प्रतिशत अंक एवं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी को परीक्षा में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करना होंगे। विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ-1/स्था. / प्रराआ / 2018 / 2971 भोपाल, दिनांक 25.05.2018०

प्रारूप-1

प्रश्नों/आदर्श उत्तरो पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(देखें नियम 3.12 एवं 3.13)

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
परीक्षा की दिनांक	
परीक्षा का समय/शिफ्ट	
परीक्षा का शहर	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	

पी.ई.बी. की वेबसाईट पर प्रदर्शित उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र में निम्न प्रश्न/उत्तर निम्नलिखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स. क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	प्रश्न में त्रुटि का विवरण	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित	अभ्यर्थी के	प्रश्न/उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत	संलग्नक क्रमांक
---------	------	----------------	----------------------------	---------------------------	-------------	-------------------------------------	-----------------

				उत्तर	अनुसार उत्तर	दस्तावेज का विवरण	

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है ।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम एवं पता

.....

.....

दूरभाष क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रारूप-2

Professional Examination Board प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4" x 5" सेमी फोटो यहाँ
चिपकाये

4" x 5" cm photo
paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction)हस्ताक्षर / Signature)

- (i) अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों ea vFlkok vaxth ds y/kj gLrk{kj eW; ugha gkxks A (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii) signature in capital letter or Short is not allowed (iii) more than 1 signature will be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की

तिथि से फोटो का उम्र अधिकतम 3 महीने का नहीं होना चाहिए। नायब तहसीलदार परीक्षा-2018

Page 27

- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photograph and it should not be old more than 3 months from application date

I gefr i æk.k&i =

¼½ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा भू-अभिलेख एवम् बंदोबस्त, राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी भर्ती परीक्षा २०१७ के लिए तैयार की गई नियम पुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियमों, आरक्षण तालिका (विभागीय रॉस्टर अनुसार), व जानकारी की पुष्टि कर सहमति प्रदान की जाती हैं तथा अध्याय-1 व 4 में दी गई समस्त जानकारी के सम्बन्ध में किसी भी विवाद आदि के लिए यह विभाग जवाबदेह होगा । तैयार नियमपुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा आयोजन के सम्बन्ध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा ।

तदनुसार यह सहमति प्रमाण पत्र सत्यापित / हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है ।

I-Ø-	folkkx dk uke	ukMy vf/kdkjh@I R; ki ud rkZ vf/kdkjh dk uke , oa njhkk"Øekd	ukMy vf/kdkjh@I R; ki udrkZ vf/kdkjh dk gLrk{kj , oa I hy	dk; i kfyd@ vdk; i kfyd in dh fLFkr
1	कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त, राजस्व भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल			

